न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु.न.	तारीख रजु	तारीख निर्णय
16/2023	20/06/2023	29-5-26

मुल्ली चंद पुत्र मोहनलाल जाति मीना नि0 रामगढ़मुराडा, तहसील तलावडा।
पृथ्वीराज पुत्र मोहनलाल जाति मीना नि0 रामगढ़मुराडा, तहसील तलावडा।
हेमराज पुत्र मोहनलाल जाति मीना नि0 रामगढ़मुराडा, तहसील तलावडा।

--वादीगण--

बनाम

धनराजी पुत्र शिवलाल जाति मीना, निवासी रामगढ़मुराडा तहसील तलावडा।
रामकेश पुत्र मूल्या जाति मीनानिवासी रामगढ़मुराडा तहसील तलावडा।
रामखिलाड़ी पुत्र रामफूल निवासी रामगढ़मुराडा तहसील तलावडा।
रामजीलाल पुत्र रामफूल निवासी रामगढ़मुराडा तहसील तलावडा।
जन्नरबाई पत्नि श्री हरी पुत्री मूल्या निवासी रामगढ़मुराडा तहसील तलावडा।
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया जरिये प्रबंधक शाखा गंगापुर सिटी।
बैंक ऑफ बड़ौदा, जरिये प्रबंधक शाखा गंगापुर सिटी।
स्टेट बैंक ऑफ शाखा गंगापुर सिटी।

--प्रतिवादीगण--

दावा बाबत विभाजन भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा

1. अभिभाषक श्री मोहम्मद इस्लाम खान, वादीगण की ओर से।
2. अभिभाषक श्री रामस्वरूप त्रिवेदी, प्रतिवादी सं0 1, 3 व 5 की ओर से।
3. अभिभाषक श्री बृजनन्दन दीक्षित, प्रतिवादी सं0 2, 3 व 4 की ओर से।

निर्णय

यह दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की सहखातेदारी भूमि हाल खसरा 1018 रकबा 0.24 है0 1043 रकबा 0.33 है0 1044 रकबा 0.27 है0 1045/1853 रकबा 0.02 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

1045/1655 रकबा 0.21 है0 1047 रकबा 0.30 है0, 1048 रकबा 0.25 है0 1050 रकबा 0.15 है0 1051 रकबा 0.12 है. 1052 रकबा 0.15 है0 1055 रकबा 0.23 है0 1056 रकबा 0.20 है0 1057 रकबा 0.13 है0, 440 रकबा 0.14 है0 141 रकबा 0.14 है0, 442 रकबा 0.1080, 443 रकबा 0.08 है0, 471 रकबा 0.03 है0, 472 रकबा 0.04 है0, 473 रकबा 0.22 है0 474 रकबा 0.23 है0 475 रकबा 0.26 है0 475 रकबा 0.22 है0, 494 रकबा 0.43 है0, 498 रकबा 0.36 है0, 499 रकबा 0.12 है0, 500 रकबा 0.17 है0, 502 रकबा 0.14 है0, 503 रकबा 0.25 है0 ग्राम रामगढमुराडा तहसील तलावडा में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। भूमि सहखातेदारी में चले आने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन विवाद होते रहते है इस कारण वादी ने दिनांक 12.06.2023 को प्रतिवादीगण से तहसील में चलकर सहमति से भूमि विभाजन करने को कहां जिस पर उन्होंने कोई सहमति व्यक्त नही की और धमकी दी की इस पर हम निर्माण कार्य करेंगे। प्रतिवादीगण अपने बेजा हरकतों से बाज नही आयेगें इसलिए उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें की वे वादीगण की कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नही करें तथा बिना विभाजन के कोई निर्माण कार्य नही करें। पक्षकारान ने अपने हिस्से की भूमि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया गंगापुर सिटी, बैंक ऑफ बडौदा शाखा तलावडा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गंगापुर सिटी के यहां रहन रखा हुआ है इसलिए दावें में उन्हें पक्षकार बनाया गया है। अपितु उनके खिलाफ कोई रिलीफ नही चाही गई है एवं विवादित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके हिस्से अनुसार [illegible] एण्ड बाउण्ड्स से पृथक पृथक विभाजन किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] के जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी सं0 1, 2 व [illegible] ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया है कि दावे का मद नं0 1 में वर्णित खसरा नबंरान की भूमि ग्राम रामगढ मुराडा तहसील तलावडा में पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि होना स्वीकार है परन्तु वादीगण ने यह नही बताया

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(सहायक कलेक्टर)

है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण किन किन खसरा नंबरो पर काबिज है जिस प्रकार मौके पर क्षकारान काबिज रहकर काश्त कर रहे है उसे जवाब के विशेष विवरण में अंकित किया है। दावे का मद नं0 2 जिस प्रकार तहरीर किया जो स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण सं 01 घमण्डी व प्रतिवादी सं0 2 तथा 5 जिन खसरा नम्बरो पर काश्त करते चले आ रहे है उन पर काश्त करने में वादीगण मजाहमत करने की कोशिश मे रहते है। दावे का मद नं0 3 गलत दर्ज किया है। वादीगण प्रतिवादी सं0 1, 2 व 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी नही है। विशेष विवरण मे यह लिखा गया है कि प्रतिवादी सं0 1,2 व 5 को परेशान कर रखा है। मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा इस प्रकार है:- रामखिलाडी, रामजीलाल पुत्रान रामफूल खं0 न0 1048 रकबा 0.25 है0 1055 रकबा 0.23 है0 443 रकबा 0.0800 है0, 471 रकवा 0.03 है0, 474 रकबा 0.23 है0, 476 रकबा 0.22 है0, 476 रकबा 0.220 है0, 499 रकबा 0.12 है0 1052 रकबा 0.15 है0 कुल रकबा 1.31 हेक्टर तथा दुलीचन्द, पृथ्वीराज प्रेमराज पिव मोहन खं0नं0 1018 रकवा 0.24 है0, 1043 रकवा 0.33 है0 1057 रकवा 0.13 है0, 441रकवा 0.14 है0 494 रकवा 43 है0 घमण्डी पुत्र शिवलाल का हिस्सा ख0नं0 1046/1655 रकबा 0.21 है0 1047 रकवा 0.30 है0, 1051 रकवा 0.12 है0, 440 रकवा 0.14 है0, 498 रकवा 0.36 है0, 502 रकवा 0.14 0 503 रकवा 0.25 है0, रामकेश पुत्र मूल्या एवं हरि पुत्र मूल्या ख0नं0 1044 रकवा 0.27 है0, कुल रकवा 1.52 है0, खसरा नम्बर 1050 रकवा 0.15 है0, 1056 रकवा 0.20 है0, 442 रकवा 0.10 है0, 472 रकवा 0.04 है0, 473 रकवा 0.22 है0, [illegible] रकवा 0.22 है0 475 रकवा 0.26 है0, 500 रकवा 0.1[illegible] है0 [illegible] है0 एवं ख0नं0 1045/1853 रकवा 0.02 है0 गै0मु0 चाहे वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि है। उपरोक्त ख0नं0 में जो घमण्डी प्रतिवादी के कब्जे में है उनमें से ख0नं0 1051 रकबा 0.12 है0 में उसका मकान व बोरिंग है तथा ख.नं0 1047 में घमण्डी प्रतिवादी का टयूब वैल है जिस पर मोटर लगी है इस प्रकार ख.नं. 1050 में रामकेश पुत्र मूल्या तथा हरी पुत्र मूल्या के

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

मकानात बने हुए है। हरी पुत्र गूल्या का देहान्त हो चुका है उसकी वारिस उसकी पत्नि जन्तरबाई प्रतिवादी संख्या 5 है। घमण्डी, रामकेश एवं हरी ने अपने कब्जे के खेतों को लाखों रूपये खर्च कर प्लेन किये है प्रतिवादी घमण्डी के पिता का देहान्त घमण्डी की 1.5 वर्ष की अवस्था में हो गया था। समस्त शामिलाती खाता में प्रतिवादी घमण्डी का 1/4 तथा प्रतिवादी रामकेश का 1/8 एवं हरी पुत्र मूल्या का 1/8 हिस्सा है जन्तरवाई पनि हरी के नाम अभी नामांतकरण नही हुआ है। वादी दुली चन्द, पृथ्वीराज, प्रेमराज पुत्रान मोहनलाल व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रामकेश व जन्तरबाई को उसके कब्जे काश्त की भूमि में मजाहमत पैदा करते है। इसलिए बंटवारा कराते समय जिस स्थान पर प्रतिवादीगण स्थापित है उक्त भूमि दिलवाया जाना न्यायोचित है। मुताबिक कब्जेकाश्त प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 5 को पृथक खातेदारी दर्ज फारगायी जायें। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाव दावा इस प्रकार पेश किया गया है कि वादपत्र का मद नम्बर 1 संशोधन के साथ संलग्न है की वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 संयुक्त कब्जेकाश्त एवं सहखातेदारी भूमि हाल ख.नं. 1018 रकबा 0.24 है0, 1043 रकबा 0.33 है0, 1044 रकबा 0.27 है0, 1045/1853 रकबा 0.02 है0, 1046 / 1455 रकबा 0.21 है0 1047 रकवा 0.30 है0, 1048 रकबा 0.25 है0, 1050 रकबा 0.15 है0 1051 रकबा 0.12 है0 1052 रकबा 0.15 है, 1055 रकबा 0.23 है0, 1056 रकबा 0.20 है0 1057 रकबा 0.13 है0, 440 रकवा 0.14 है, 441 रकबा 0.14 है0, 442 रकबा 0.10 है0, 443 रकबा 0.08 है0, 471 रकबा 0.03 है0, 472 रकबा 0.04 है0, 473 रकबा 0.22 है0, 474 रकबा 0.23 है0 475 रकवा 0.26 है0 47[illegible] है0, 494 रकवा 0.43 है0, 498 रकबा 0.36 है0 [illegible] 500 रकबा 0.17 है0, 502 रकबा 0.14 है0, 503 रकबा 0.2[illegible] कुल खसरा 29 कुल रकबा 5.53 है0 स्थित ग्राम रामगढमुराडा तहसील तल[illegible]डा पर वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वाद पत्र का मद नम्बर 2 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नही है। परन्तु यह स्वीकार है कि पक्षकारान मुताबिक सहमति से विभाजन कराने को तैयार

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

नही रहे है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 जिन ख0 नम्बरों पर कास्त करते है वादीगण उनमें मजाहमत पैदा करते है। वाद पत्र का मद नं. 3 स्वीकार नही है। सहखातेदारी भूमि का विभाजन कब्जे एवं मिट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर किये जाने के पश्चात् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। विशेष विवरण इस प्रकार है कि वादीगण सरगना व गिरोह बंद है जिन्होंने प्रतिवादीगण को परेशान कर रखा है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा इस प्रकार है। रामखिलाडी, रामजीलाल पुत्रान रामफूल खं0नं0 1048 रकबा 0.25 है0 1055 रकबा 0.23 है0, 443 रकबा 0.080, 471 रकबा 0.030, 474 रकबा 0.230, 476 रकबा 0.220, 476 रकबा 0.22 है0 499 रकबा 0.120, 1052 रकबा 0.150 कुल रकबा 1.31 हेक्टर तथा दुलीचन्द, पृथ्वीराज प्रेमराज पिव मोहन खं0नं0 1018 रकवा 0.24 है0, 1043 रकवा 0.33 है0 1057 रकवा 0.13 है0, 441 रकवा 0.140, 494 रकवा 0.43 है0 घमण्डी पुत्र शिवलाल का हिस्सा ख0नं0 1046/1655 रकबा 0.21 है0 1047 रकवा 0.30 है0 1051 रकवा 0.12 है0, 440 रकवा 0.14 है0 498 रकवा 0.36 है0 502 रकवा 0.14 है0 503 कवा 0.25 है, कुल रकवा 1.52 है0, रामकेश पुत्र मूल्या एवं हरि पुत्र मूल्या ख0नं0 1044 रकवा 0.27 है0 1050 रकवा 0.15 है0 1056 रकवा 0.20 हैद्र, 442 रकवा 0.10 है0 472 रकवा 0.04 है0 473 रकवा 0.22 है0 473 रकवा 0.22 है0 475 रकवा 0.26 है0, 500 रकबा 0.17 है0 कुल रकवा 1.41 है0 एवं ख0नं0 1052 रकवा 0.15 है0 में मिनजबाबदारान नटी पक्का मकान निर्मित है तथा खसरा नंबर 443 रकवा 0.08 एयर एवं खसरा नंबर 1048 रकवा 0.25 है0 में मिनजबाबदार की बोरिंग व मोटर लगी हुई है। उपरोक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की आराजी कुल खसरा 29 कुल रकबा 5.53 है0 है जिसमें से प्रतिवादीगण के नाम 1/4 हिस्से के [illegible] भूमि हिस्से में आती है जबकि वर्तमान में कुल रकवा 1.31 है0 पर ही काबिज है प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णनानुसार कुल खसर 9 कुल रकबा 1.31 है0 पर ही काबिज है तथा घमण्डी पुत्र शिवलाल के उपरोक्त वर्णनानुसार 1.52 है0 भूमि पर काबिज है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के 0.07 है0 भूमि मौके पर कम है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण को घमण्डी पुत्र शिवलाल के खसरा नंबर 498 अथवा खसरा नंबर 440 में से दिलाई जावे। एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के कब्जे काश्त की भूमि को पृथक से खातेदारी दर्ज फरमायी जावे तथा शेष कम रही 0.07 है0 भूमि भी प्रतिवादीगण को दिलाई जावे।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज नकल जमाबंदी संवत् 2071-2074 खाता संख्या 275 पेश की है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है।

वादी का दावा तहसीलदार तलावड़ा से विभाजन स्कीम मंगवाये जाने हेतु दिनांक 22/10/2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार तलावड़ा से दिनांक 30/03/2026 को विभाजन स्कीम निम्न अनुसार प्राप्त हुई :-

पृथ्वीराज पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/3, प्रेमराज पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/3 दुलीचन्द पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/3 खसरा नम्बर 1043 रकबा 0.33 है0, 1057 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 494 रकबा 0.43 है0 441 रकबा 0.14 है0, 1018 रकबा 0.095 है0, खसरा नम्बर 1046/1655 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1055 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.04 है0, 498 रकबा 0.0925 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.3775 है0 सा0दे0 खातेदार

घमण्डी पुत्र शिवलाल राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी खसरा नम्बर 1047 रकबा 0.30 है0 1046/1655 रकबा 0.16 है0, 1051 रकबा 0.12 है0, 498 रकबा 0.2675 है0, 502 रकबा 0.14 है0, 503 रकबा 0.25 है0, 440 रकबा 0.14 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.3775 है0 सा0दे0 खातेदार

रामजीलाल पुत्र रामफूल हिस्सा 1/2 [illegible] पुत्र रामफूल हिस्सा 1/2 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी खसरा नम्बर 1048 रकबा 0.25 है0, 1055 रकबा 0.16 है0, 1052 रकबा 0.15 है0, 499 रकबा 0.12 है0,474 रकबा 0.23 है0, 443 रकबा 0.08 है0, 471 रकबा 0.03 है0 476 रकबा 0.22 है0, 1018 रकबा 0.0250 है0, 500 रकबा 0.0525 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 1.3775 है0 सा0दे0 खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

रामकेश पुत्र मूल्या हिस्सा 1/2 जन्तरबाई पत्नि हरी हिस्सा 1/6, लिमका पुत्री हरी हिस्सा 1/6, नाबा0 राजकुमारी पुत्री हरी हिस्सा 1/6 संरक्षक माता जन्तरबाई खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.27 है0, 1056 रकबा 0.16 है0, 1050 रकबा 0.15 है0, 500 रकबा 0.1175 है0, 475 रकबा 0.26 है0, 442 रकबा 0.10 है0, 472 रकबा 0.04 है0, 473 रकबा 0.22 है0, 1018 रकबा 0.06 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.3775 है0 सा0देह0 खातेदार घमण्डी पुत्र शिवलाल हिस्सा 1/4 राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी, जन्तरबाई पत्नि हरी हिस्सा 1/24, दुलीचन्द, प्रथ्वीराज, प्रेमराज पुत्रान मोहनलाल हिस्सा प्रत्येक का 1/12 नाबा0 राजकुमारी पुत्री हरी हिस्सा 1/24 संरक्षक माता जन्तरबाई, रामकेश पुत्र मूल्या हिस्सा 1/8, रामखिलाडी पुत्र रामफूल हिस्सा 1/8 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी रामजीलाल पुत्र रामफूल हिस्सा 1/8, लिमका पुत्री हरी हिस्सा 1/24 खसरा नम्बरर 1045/1853 रकबा 0.0200 है0 गै0मु0 चाह जमाबन्दी अनुसार प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान अधिवक्ता विभाजन स्कीम पर सुनी गई। वकील वादी द्वारा तहसीलदार तलावडा से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार वादी का हिस्सा विभाजित किया जाकर वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं उसमें प्रस्तुत विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। चूंकि दावा विभाजन का है एवं वादी विभाजन स्कीम अनुसार विभाजन करवाये जाने पर सहमत है। इसलिय वादी का दावा मुताबिक विभाजन स्कीम अनुसार डिक्री किया जाना प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः वादी का दावा डिक्री किया जाकर तहसीलदार तलावडा को आदेशित किया जाता है कि:-

पृथ्वीराज पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/3, प्रेमराज पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/3

दुलीचन्द पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/3 खसरा नम्बर 1043 रकबा 0.33 है0, 1057 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 494 रकबा 0.43 है0 441 रकबा 0.14 है0, 1018 रकबा 0.095 है0, खसरा नम्बर 1046/1655 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1055 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.04 है0, 498 रकबा 0.0925 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.3775 है0 सा0देह0 खातेदार के नाम दर्ज की जावे।

घमण्डी पुत्र शिवलाल राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी खसरा नम्बर 1047 रकबा 0.30 है0 1046/1655 रकबा 0.16 है0, 1051 रकबा 0.12 है0, 498 रकबा 0.2675 है0, 502 रकबा 0.14 है0, 503 रकबा 0.25 है0, 440 रकबा 0.14 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.3775 है0 सा0देह0 खातेदार के नाम दर्ज की जावे।

रामजीलाल पुत्र रामफूल हिस्सा 1/2 रामखिलाडी पुत्र रामफुल हिस्सा 1/2 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी खसरा नम्बर 1048 रकबा 0.25 है0, 1055 रकबा 0.16 है0, 1052 रकबा 0.15 है0, 499 रकबा 0.12 है0,474 रकबा 0.23 है0, 443 रकबा 0.08 है0, 471 रकबा 0.03 है0 476 रकबा 0.22 है0, 1018 रकबा 0.0250 है0, 500 रकबा 0.0525 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 1.3775 है0 सा0देह0 खातेदार के नाम दर्ज की जावे।

4. रामकेश पुत्र मूल्या हिस्सा 1/2 जन्तरबाई पत्नि हरी हिस्सा 1/6, लिमका पुत्री हरी हिस्सा 1/6, नाबा0 राजकुमारी पुत्री हरी हिस्सा 1/6 संरक्षक माता जन्तरबाई खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.27 है0, 1056 रकबा 0.16 है0, 1050 रकबा 0.15 है0, 500 रकबा 0.1175 है0, 475 रकबा 0.26 है0, 442 रकबा 0.10 है0, 472 रकबा 0.04 है0, 473 रकबा [illegible] है0, 1018 रकबा 0.06 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.3775 है0 [illegible] खातेदार के नाम दर्ज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested

5. घमण्डी पुत्र शिवलाल हिस्सा 1/4 राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी, जन्तरबाई पत्नि हरी हिस्सा 1/24, दुलीचन्द, प्रथ्वीराज, प्रेमराज पुत्रान मोहनलाल हिस्सा प्रत्येक का 1/12 नाबा0 राजकुमारी पुत्री हरी हिस्सा 1/24 संरक्षक माता जन्तरबाई, रामकेश पुत्र मूल्या हिस्सा 1/8, रामखिलाडी

त्र रामफूल हिस्सा 1/8 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी
ामजीलाल पुत्र रामफूल हिस्सा 1/8, लिमका पुत्री हरी हिस्सा 1/24 खसरा
म्बरर 1045/1853 रकबा 0.0200 है0 गैरमु0 चाह जमाबन्दी अनुसार प्रस्तुत
की है। इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज किया जावे। विभाजन
स्कीम निर्णय का जुज रहेगी। पर्चा डिक्री पृथक से जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29-4-26 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

Note→ आदेश दिनांक 08-5-26 से निर्णय के आदेश के मद नं. 3 व डिक्री के मद नं. 3 मे अंकित ख. नं. 1018 का रकबा 0.0250 है० के स्थान पर 0.0850 है० पढा जावे।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:46 IST
Reason: SelfAttested